



राजस्थान सरकार
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141-2227725, 2227033
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III/

Jaipur, Dated:-

जिला कलेक्टर,
समस्त जिला
(दौसा, करौली, झालावाड़, धौलपुर
एवं सवाई माधोपुर को छोड़कर)

विषय:-वीडियों कॉन्फ्रेंस दिनांक 29.11.2021 के क्रम में।
संदर्भ:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 23.11.2021

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 29.11.2021 को प्रातः 10 से 11 बजे तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत लोकपाल हेतु ऑन लाईन साक्षात्कार की व्यवस्थाओं के संबंध में शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा वीडियों कॉन्फ्रेंस का आयोजन निर्धारित किया गया है। इसमें मुख्य कार्यकारी अधिकारीगण एवं साक्षात्कार व्यवस्था समिति के अधिकारीगण भाग लेना अपेक्षित है। अतः निर्धारित समय पर भाग लिये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किये जाने का श्रम करें।

3d

(के0 के0 पाठक)

शासन सचिव

ग्रामीण विकास विभाग

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III 4141-49 Jaipur, Dated:- 24/11/21
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा विभाग सह-अध्यक्ष लोकपाल चयन समिति, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग सह-सदस्य सचिव, लोकपाल चयन समिति।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा
5. निजी सचिव, निदेशक, SSAAT लोकपाल चयन संबंधी साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करवाये जाने हेतु।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक ई.जी.एस., जिला परिषद समस्त जिला (दौसा, करौली, झालावाड़, धौलपुर एवं सवाई माधोपुर को छोड़कर) को भेजकर लेख है कि उक्त वीडियों कॉन्फ्रेंस में आवश्यक रूप से आपके जिले में गठित समिति के सदस्यों सहित भाग लिया जाना सुनिश्चित करें एवं साक्षात्कार की तिथि के लिये आपके द्वारा गठित समिति एवं की गई व्यवस्था के संबंध में ई-मेल द्वारा तत्काल सूचना DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN पर भिजवावें।
7. लेखाधिकारी (प्रशासन) एवं कार्यालयाध्यक्ष, SSAAT को बैठक की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने हेतु।
8. प्रोग्रामर, SSAAT को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि साक्षात्कार हेतु समुचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।
9. रक्षित पत्रावली।

(रामावतार शर्मा)

निदेशक, (SSAAT)